न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 226/2025 दायर दिनांक–06.10.2025

1. मोबसिंह पुत्र मघसिंह दत्तक पुत्र सुखसिंह जाति राजपूत निवासी झाझड़ तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू

– **वादी**

बनाम

1. मनोहर सिंह पुत्र मघसिंह
2. सुमन कंवर पत्नी कालूसिंह
3. पवन पुत्र कालूसिंह
4. पिंकी पुत्री कालूसिंह
5. सुमन कंवर पुत्री मघसिंह
6. कमल कंवर पुत्री मघसिंह समस्त जाति राजपूत निवासी झाझड़ तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू
7. भूमि धारक राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नवलगढ़ तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

–प्रतिवादीगण

वकील वादी : – श्री प्रदीप कुमार झाझड़िया
वकील प्रतिवादी :– एकपक्षीय

दावा बाबत घोषणा व दुरूस्ती रिकॉर्ड

–:: निर्णय ::–

दिनांक : 09.12.2025

वादी ने एक वाद पत्र इस कदर पेश किया कि ग्राम झाझड तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं मे आराजी खसरा नम्बर 2289/899 रकबा 0.0700 हैक्टर, खसरा नम्बर 2290/899 रकबा 2.6600 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 2.7300 हैक्टर स्थित है एवं ग्राम झाझड़ में ही आराजी खसरा नम्बर 909 रकबा 1.1000 हैक्टर स्थित है। उक्त आराजी को आगे वाद पत्र मे वादग्रस्त आराजी के नाम से सम्बोधित किया गया है।

आराजी खसरा नम्बर 2289/899 रकबा 0.0700 हैक्टर, खसरा नम्बर 2290/899 रकबा 2.6600 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 2.7300 हैक्टर मे 11/91 हिस्सा गीता देवी पत्नी हरलाल, 11/273 हिस्सा सन्तोष देवी पत्नी दयाराम व 88/273 हिस्सा हरलाल पुत्र जगनाथ के नाम से दर्ज है जिस बाबत वाद पत्र में कोई विवाद नहीं है। उक्त खातेदारों के विरूद्ध बाद पत्र में कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है इसलिए उक्त खातेदार गीता देवी, सन्तोष देवी व हरलाल को बाद पत्र में पक्षकार संयोजित नही किया है।

उक्त आराजी मे वादी व प्रतिवादी संख्या 15 व प्रत्येक के नाम से 47/546 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 4 प्रत्येक के नाम से 47/1638 हिस्सा दर्ज है एवं 47/546 हिस्सा वादी के नाम से व 47/546 हिस्सा सुप्यार कंवर पत्नी मघसिंह के नाम से दर्ज है।

ग्राम झाझड़ में गौरूसिह नामक व्यक्ति था जिसके दो पुत्र सुखसिंह व मघसिह हुये। सुखसिंह व सुखसिंह की पत्नी उच्छय कवर के [illegible] नहीं हुई। सुखसिंह के भाई मघसिंह के तीन पुत्र वादी मोबसिंह, प्रतिवादी संख्या 1 मन[illegible]सिंह, प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 4 के पिता व पति कालूसिंह एवं दो पुत्रियां प्रतिवादी सं. [illegible] प्रतिवादी संख्या 6 कमल कंवर हुई। सुखसिंह के कोई जायन्दा सन्तान नहीं होने से सुखसिंह व उनकी पत्नी उच्छव कंवर ने अपने भाई मघसिंह व उनकी पत्नी से वादी, जब करीब 18 [illegible] लिया था, तब से वादी सुखसिंह व उच्छय कंवर के साथ ही रहा है एवं सुखसिंह व उच्छव कंवर [illegible] सम्पति पर ही काबिज [illegible] वादी का विवाह भी दत्तक माता पिता सुखसिंह व उच्छव कंदर ने ही किया और सुखसिंह व उच्छव कंवर के स्वर्गवास के समय भी उनके समस्त अन्तिम क्रियाक्रम वादी ने ही सम्पन्न किये थे। वादी सुखसिंह व उच्छव कंवर का दत्तक पुत्र है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.12.29 14:34:27 IST
Reason: SelfAttested

ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रे.)
नवलगढ़

दत्तक ग्रहण अधिनियम 1956 के प्रावधानो के अनुसार किसी व्यक्ति के दत्तक जाने के रोज से ही उसके प्राकृतिक माता पिता की जायदाद से सभी हक हकूक समाप्त हो जाते है उसका प्राकृतिक माता पिता की सम्पति से कोई ताल्लुक नही रहता है और उस व्यक्ति के सारे हक हकूक दत्तक माता–पिता की जायदाद में सृजित हो जाते है। इस प्रकार वादी का सुखसिंह व उच्छव कंवर के गोद जाने के रोज से अपने प्राकृतिक माता पिता की जायदाद से सारे हक हकूक समाप्त होकर अपने दतक माता पिता की सम्पति के सभी हक अधिकार प्राप्त हो गये। परन्तु राजस्व अधिकारियो व कर्मचारियों ने वादी के प्राकृतिक पिता मघसिंह के फौत होने पर राजस्व अभिलेख में बादी का नाम गलत दर्ज कर दिया एवं आराजी खसरा नम्बर 2280/890 रकबा 0.0700 हैक्टर, खसरा नम्बर 2290/699 रकबा 2.6600 हैक्टर कुल किसा 2 कुल रकबा 2.7300 हैक्टर में 47/546 हिस्से का राजस्व अभिलेख सुप्यार कंवर पत्नी मघसिंह के नाम दर्ज है जिनका स्वर्गवास हो चुका है जिनके उमयी उत्तराधिकारी प्रतिवादी संख्या लगायत 6 ही है। इसलिए उक्त आराजी खसरा नम्बर 2289/899 रकबा 0.0700 हैक्टर, खसरा नम्बर 2290/899 रकबा 2.6600 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 2.7300 हेक्टर में चादी व सुप्यार कंवर पत्नी मचसिंह का नाम हजफ किया जाकर प्रतिवादी नम्बर 1, 5 व प्रत्येक को 1128/546 हिस्से का व प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 4 को शामिल में 1128/546 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व अभिलेख दुरुस्त किया जाना आवश्यक है एवं आराजी खसरा नम्बर 909 रकबा 1/1000 हैक्टर का राजस्व अभिलेख उच्छव कंवर पत्नी सुखसिंह के नाम से दर्ज है जिनका स्वर्गवास हो चुका है जिनका एकमात्र उत्तराधिकारी वादी है इसलिए उच्छव कंवर पत्नी सुखसिंह के स्थान पर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व अभिलेख दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। जिसके लिए उक्त वाद श्रीमानजी की सेवामें पेश है।

अतः वाद पेशकर निवेदन है कि वाद बहक वादी डिक्री फरमाया जाकर ग्राम झाझड़ में स्थित आराजी खसरा नम्बर 2289/899 रकबा 0.0700 हैक्टर, खसरा नम्बर 2290/899 रकबा 2.6600 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 2.7300 हैक्टर मे वादी व सुप्यार कंवर पत्नी मघसिंह का नाम हजफ किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1, 5 व 6 प्रत्येक को 1128/546 हिस्से का एवं प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 4 को 1128/546 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे शेष राजस्व अभिलेख बदस्तुर रखा जावे एंव ग्राम झाझड़ मे स्थित आराजी खसरा 909 रकबा 1.1000 हैक्टर मे उच्छव कंवर पत्नी सुखसिंह के स्थान पर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

वादी द्वारा वाद–पत्र पेश होने बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई। प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 03, 05 व 06 की ओर से एड0 किशोर कुमार जंगिड़ ने वकालतनामा पेश किया। शेष प्रतिवादीगण की तलबी सम्यक रूप होने के बाजवूद उपस्थित न्यायालय हाजा नही होने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल लाई गई।

प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 की ओर से इकबालिया जबाब दावा पेश करने पर तथा शेष प्रतिवादीगण की एकपक्षीय कार्यवाही होने पर प्रकरण में तनकीयात कायम नही की गई। वादी की ओर से शहादत वादी हेतु वादी मोबसिंह का चीफ का सपथ पत्र पेश किया। वादी ने अपने वाद–पत्र के समर्थन में दस्तावेजात नकल जमाबंदी सम्वत् 2075–78 आदि दस्तावेज पेश किये।

बहस वकील उभय पक्ष सुनी गई। वकील वादी ने वाद पत्र में दर्ज तथ्यों को दोहराया। वकील प्रतिवादी ने वाद अनुसार निर्णय किये जाने पर सहमति दी। बहस का मनन किया गया तथा पत्रावली का एवं उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अवलोकन उपरांत स्पष्ट है कि ग्राम झाझड़ में स्थित आराजी खसरा नम्बर 2289/899 रकबा 0.0700 हैक्टर, खसरा नम्बर 2290/899 रकबा 2.6600 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 2.7300 हैक्टर मे वादी व सुप्यार कंवर पत्नी मघसिंह का नाम हजफ किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1, 5 व 6 प्रत्येक को [illegible] प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 4 को 1128/546 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना [illegible] झाझड़ मे स्थित आराजी खसरा 909 रकबा 1.1000 हैक्टर मे उच्छव कंवर प[illegible] काश्तकार घोषित किया जाना न्यायोचित है। फलस्वरूप वाद वादी न्यायोचित होने से [illegible] किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.12.29 14:34:27 IST
Reason: SelfAttested

:: आदेश ::

वाद वादी स्वीकार किया जाता है। ग्राम झाझड़ में स्थित आराजी खसरा नम्बर 2289/899 रकबा 0.0700 हैक्टर, खसरा नम्बर 2290/899 रकबा 2.6600 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 2.7300 हैक्टर मे वादी व सुप्यार कंवर पत्नी मघसिंह का नाम हजफ किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1, 5 व 6 प्रत्येक को 1128/546 हिस्से का एवं प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 4 को 1128/546 हिस्से का खातेदार काश्तकार

एस.डी.ई.एम. (फा.ट्र.)
नवलगढ़

घोषित किया जाता है तथा ग्राम झाझड़ मे स्थित आराजी खसरा 909 रकबा 1.1000 हैक्टर मे उच्छव कंवर पत्नी सुखसिंह के स्थान पर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उपरोक्त अनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जाने का आदेश तहसीलदार नवलगढ़ को दिया जाता है। तहसीलदार नवलगढ़ को तहरीर जारी हो। खर्चा पक्षकरान अपना–अपना वहन करेगे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 09.12.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुशील कुमार सैनी)
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट,(फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.12.29 14:34:27 IST
Reason: SelfAttested

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़

मुकाम बईजलास सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.)

<u>दावा बाबत : घोषणार्थ व रिकॉर्ड दुरूस्ती</u>

मुकदमा सं0:– 226/2025 **(मोबसिंह बनाम मनोहर सिंह आदि)**

<u>अंतिम पर्चा डिक्री</u>

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.), सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ बहाजिरी..वकील वादी मिनजानिब मुद्दई रूबरू मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक 09.12.2025 निर्णय अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाता है। ग्राम झाझड़ में स्थित आराजी खसरा नम्बर 2289/899 रकबा 0.0700 हैक्टर, खसरा नम्बर 2290/899 रकबा 2.6600 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 2.7300 हैक्टर मे वादी व सुप्यार कंवर पत्नी मघसिंह का नाम हजफ किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1, 5 व 6 प्रत्येक को 1128/546 हिस्से का एवं प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 4 को 1128/546 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा ग्राम झाझड़ मे स्थित आराजी खसरा 909 रकबा 1.1000 हैक्टर मे उच्छव कंवर पत्नी सुखसिंह के स्थान पर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उपरोक्त अनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जाने का आदेश तहसीलदार नवलगढ़ को दिया जाता है। तहसीलदार नवलगढ़ को तहरीर जारी हो। खर्चा पक्षकरान अपना–अपना वहन करेगे।

बसक्षत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 09.12.2025 को जारी की गई।

सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.) नवलगढ
एस.डी.एम. (फा.ट्रै.)
नवलगढ

मुद्दई	रूपया पैसे	मुद्दासलह	रूपये पैसे
.स्टाम्प अर्जी दावा	04.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	02.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	–	स्टाम्प अर्जी	–
महनताना वकील	–	महनताना वकील	–
खर्चा गवाहान	–	खर्चा गवाहान	–
फीस कमिश्नर	–	फीस कमिश्नर	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–
मुतफरिक मिजान	06.00	मुतफरिक मिजान	0.00
कुल	12.00		0.00

Signature Not Verified

Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.12.29 14:34:27 IST
Reason: SelfAttested